न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी – राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 106 / 23 — दायर दिनांक 01.08.2023

सीसीएमएस नं 2023 / 238

उनवान

1 दिगम्बरसिंह पुत्र श्री भैरूरामसिंह 2 भगतीसिंह पुत्र पुत्र गिर्राजसिंह 3 वीरसिंह पुत्र बहादुरसिंह जातियान जाट नि. खरैरा तह भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—वादीगण

बनाम

1 जसवन्तसिंह 2 बहादुरसिंह पुत्रान परशराम जातियान जाट निवासी बालाहेड़ा तह भुसावर जिला भरतपुर राज.।

3 राज सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता –
1 श्री सुरेन्द्र चौधरी —वादीगण
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी —प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 28 / 04 / 2026

वादीगण वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 281 रकबा 0.01 हैक्टेयर वाके ग्राम बालाहेड़ा तह भुसावर के विवाद है। जिसमें वादी संख्या 1 दिगम्बरसिंह 25 / 121 हिस्सा, वादी संख्या 2 भगतीसिंह 167 / 484 हिस्सा, वादी संख्या 3 वीरसिंह 3 / 22 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 जसवन्तसिंह 151 / 968 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 बहादुरसिंह 151 / 968 हिस्सा के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आसामी है तथा इसी प्रकार के मौके पर काबिज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की तामील पर प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा पेश किया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार भुसावर द्वारा अपने पत्रांक / एल.आर. / 2026 / 4066 दिनांक 11.07.2026 द्वारा अवगत कराया कि जमाबन्दी ग्राम बालाहेड़ा के खाता संख्या 41 खसरा नंबर 281 रकबा 0.01

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

हैक्टे. में दर्ज खातेदारान के हिस्से में 01 एयर से भी कम भूमि आती है, जिसकी तरमीम नक्शा लट्ठा में किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया है।

उक्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा मौखिक आपत्ति दर्ज कराई गई कि उक्त आराजी एन एच 21 के सहारे की कीमति भूमि है, इसलिए हमें तो चाहे कितना ही हिस्सा मिले, हमें हमारा हिस्सा अलग दिया जावे।

अतः तहसीलदार, भुसावर को उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों के साथ मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु पुनः दिनांक 10.12.2025 को आदेशित किया गया।

जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./कोर्ट/2026/1809 दिनांक 27.04.2026 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 19.04.2026 को हल्का पटवारी के साथ विवादित स्थल का मौका देखा गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण से दूरभाष पर वार्ता की गई, लेकिन अधिवक्तागण मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम मालाहेडा खसरा नंबर 281 रकबा 0.01 हैक्टे. में एक से अधिक अर्थात् 5 खातेदार है, मुताबिक रिकॉर्ड खातेदारान के हिस्से में 01 एयर से कम भूमि अर्थात वर्गमीटर में भूमि आती है, जिसकी तरमीम नक्शा शीट पर किया जाना संभव नहीं है।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन किया गया। अतः तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट के आधार पर हम दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है।

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 01.08.2023

प्रकरण सख्या: 106 / 23
जीसीएमएस नं. 2023 / 238

उनवान

1 डिगम्बरसिंह पुत्र श्री नेकरामसिंह 2 मंगतीसिंह पुत्र पुत्र गिर्राजसिंह 3 वीरसिंह पुत्र बहादुरसिंह जातियान जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादीगण

बनाम

1 जसवन्तसिंह 2 बहादुरसिंह पुत्रान परसराम जातियान जाट निवासी मालाहेडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।
3 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1. श्री सुरेन्द्र चौधरी ––वादीगण
2. श्री चन्द्रशेखर तिवारी ––प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 28 / 04 / 2026

दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०